N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0041 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/02/2025 13:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 21/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/02/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/02/2025 13:57:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 155 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MELA GROUND GATE NO.02 KE SAMANE, PUSHKER JILA AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** VISHNU KUMAR GUPTA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BAJRNG LAL GUPTA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B 501, MAHARANA PRATP NAGAR, KOTRA, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B 501, MAHARANA PRATP NAGAR, KOTRA, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMNIWAS MEENA		पिता:RATTIRAM MEENA	1. KHERLI KALAN,MAHUWA,DAUSA,RAJA
2	MAHESH MEENA		पिता:KANCHAN LAL MEENA	1. KHERLI KALAN,MAHUWA,MANDAWAR(DAUSA),DAUSA,RAJASTHAN,IN
3	MUKESH CHAUHAN		पिता:CHAMAN LAL CHAUHAN	1. SAWARNPATH GALI,MANSAROVAR,MANSAROVAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम। विषय – भ्रष्ट लोकसेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, मैं प्रार्थी विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व. श्री बजरंगलाल गुप्ता उम्र 50 वर्ष, निवासी बी-501, महाराणा प्रताप नगर, कोटडा, अजमेर पेशा सिविल कॉन्ट्रेक्टर, फर्म मैसर्स विष्णु कुमार गुप्ता के नाम से है । मैं सरकारी विभागो में निर्माण कार्य के ठेके लेता हूं। मैनें (पुष्कर नगर पालिका वर्तमान में नगर परिषद पुष्कर से (1) वर्क आर्डर नं. 1090 दिनांक 30.8.24, वार्ड नं. 6 में सी.सी निर्माण कार्य, (2) वर्क आर्डर नं. 2010 दिनांक 18.10.24 से पुष्कर परिषद क्षेत्र में जी.एस.बी का कार्य (3) वर्क आर्डर नं. 2014 दिनांक 18.10.24 से पुष्कर परिषद क्षेत्र में पेच वर्क कार्य (4) वर्क आर्डर नं. 2021 दिनांक 18.10.24 से वार्ड नं. 6 में दिवार निर्माण कार्य करवाया था। उक्त सभी काम मेरे द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण कर कार्यो की गुणवता, मापचोख JEN श्री रामनिवास जी मीणा, नगर पालिका / परिषद पुष्कर द्वारा की गई व माप पुस्तिका में इन्द्राज माप के आधार पर मेरे द्वारा बिल प्रस्तुत कर दिया गया। वर्क आर्डर 1090 के कार्यो की बिल राशि 308293.00 रू कटौती पश्चात, वर्क आर्डर नं. 2010 के कार्यो के बिल राशि 283934.00 रू कटौती पश्चात, वर्क आर्डर नं. 2014 के कार्यो के बिल राशि 278004.00 रू कटौती पश्चात, वर्क आर्डर नं. 2021 के कार्यो के बिल राशि 263682.00 रू कटौती पश्चात कुल राशि 1233000.00 लगभग का भुगतान लम्बित है। उक्त कार्य के भुगतान के संबंध में दिनांक 10.2.25 को श्री रामनिवास मीणा, JEN पुष्कर स्थित उनके सरकारी आवास पर जाकर मिला तो मेरे भुगतान की बिल राशि 1233000/- लगभग और एक कार्य पूर्व में गुरूद्वारा के सामने सी.सी रोड बनाने का लगभग 850000.00 राशि कुल 20,83,000/- रूपये के बिलो के भुगतान से संबंधित पत्रावलिया व बिलो पर JEN सर अपने हस्ताक्षर कर आगे AEN साहब व कमिश्नर को भिजवाने की एवज मे बिलो की कुल राशि का 10 प्रतिशत कमीशन के तौर पर रिश्वत राशि की मांग की है मैने काफी निवेदन किया तो वह उक्त पत्रावली एवं बिलो पर अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजने के लिये 2.00 लाख रूपये की मांग की थी। श्री रामनिवास मीणा JEN ने इन्ही बिलो के भुगतान के लिये AEN श्री मुकेश जी के लिये भी 5 प्रतिशत कमीशन के तौर पर 60000/- (साठ हजार रू) मांग रहा है। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में JEN सर रामनिवास जी मीणा को 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि एवं श्री मुकेश AEN को 60,000 की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। श्री मुकेश AEN को APO कर मुख्यालय जयपुर किया हुआ है, लेकिन मेरी पत्रावली पर AEN साहब का व JEN सर दोनो के हस्ताक्षर होने है। JEN सर 2.00 (दो लाख) रिश्वत राशि लिये बगैर मेरी भुगतान फाईल, बिल को आगे नही भेजेंगे मेरी श्री रामनिवास जी मीणा JEN से कोई रंजिश नही है और न ही किसी प्रकार का लेन देन बकाया है। रिपोर्ट करता हूं। कृपया कार्यवाही करे। एस.डी विष्णु कुमार गुप्ता 12.02.25 भवदीय विष्णु कुमार गुप्ता फर्म M/S विष्णु कुमार गुप्ता अजमेर मोबाईल नं.[redacted] EMAIL VGUPTA2567@GMAIL.COM ADHAR NO. [redacted]संलग्न – (1) आधार कार्ड प्रति (2) ठेकेदारी पंजीयन प्रति (3) GST प्रति (4) कार्य आदेश नगरपालिका पुष्कर / नगर परिषद प्रति (5) बिल की प्रति एस.डी श्री आशीष कुमार एस.डी श्री मनीष कुमार शर्मा कार्यवाही पुलिस – कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम दिनांक 12.02.2025 समय 01.15 पी.एम पर प्रार्थी श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व. श्री बजरंगलाल गुप्ता उम्र 50 वर्ष, निवासी बी-501, महाराणा प्रताप नगर, कोटडा, अजमेर पेशा सिविल कॉन्ट्रेक्टर नें उपस्थित कार्यालय होकर एक तहरीरी रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम के नाम से मुझ उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये। प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से दरयाप्त की तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी स्वयं की कलमी है तथा मेरी मैसर्स

विष्णु कुमार गुप्ता के नाम से फर्म है। मैं सरकारी विभागो में निर्माण कार्यों के टेण्डर लेता हूँ। मैनें पुष्कर नगर पालिका (वर्तमान में नगर परिषद पुष्कर) में वर्क आर्डर नं. 1090 दिनांक 30.08.2024 से वार्ड नं. 06 में सीसी रोड निर्माण का कार्य किया। जिसके कार्यो की बिल राशि 308293.00 रूपये कटौती के पश्चात है। वर्क आर्डर नं. 2010 दिनांक 18.10.2024 से पुष्कर नगर परिषद क्षैत्र में जीबीएस का कार्य किया। जिसके कार्यो की बिल राशि 283934.00 रूपये कटौती के पश्चात बनती है। वर्क आर्डर नं. 2014 दिनांक 18.10.2024 से पुष्कर नगर परिषद क्षैत्र में पेचवर्क का कार्य किया गया जिसके कार्यो की बिल राशि 278004.00 रूपये बनती है तथा वर्क आर्डर नं. 2021 दिनांक 18.10.2024 से वार्ड नं. 06 में दिवार निर्माण का कार्य किया गया था, जिसके कार्यो की बिल राशि 263682.00 रूपये बनती है। उक्त चारो कार्यो की कटौतियों के पश्चात 12,33,000/- रूपये (बारह लाख तेतीस हजार रूपये) बनती है। उक्त सभी कार्य मेरे द्वारा निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कर दिया गया तथा उक्त कार्यो की मौके पर श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर द्वारा माप जोख कर माप पुस्तिका में इन्द्राज भी कर दिया। लेकिन मेरे उक्त चारो कार्यो का भुगतान बिल एवं संबंधित पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर नही कर रहे है। इसके अलावा मेरे द्वारा पूर्व में पुष्कर स्थित गुरूद्वारा के सामने सीसी रोड बनाने का कार्य जिसकी लागत करीब 8.50 लाख रूपये थी, को पूर्ण किया जिसका भुगतान भी मुझे मिल चुका है। मैं मेरे भुगतान संबंधी बिलो एवं पत्रावलियों पर अपने हस्ताक्षर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने के संबंध में, मैं दिनांक 10.02.2025 को श्री रामनिवास मीणा, कनिष्ठ अभियंता के पुष्कर स्थित उनके सरकारी आवास पर जाकर मिला तो श्री रामनिवास जी मीणा नें मेरे लंबित चार बिलो की भुगतान राशि 12,33,000/- रूपये एवं 8.50 लाख रूपये पूर्व में भुगतान हो चुके सहित बिलो की कुल राशि 20,83,000/- रूपये की एवज में दस प्रतिशत कमीशन के तौर पर 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा श्री रामनिवास मीणा नें उक्त लंबित चार बिलो की भुगतान राशि 12,33,000/- रूपये पर श्री मुकेश कुमार एईएन साहब के हस्ताक्षर करवाने की एवज में पांच प्रतिशत कमीशन के तौर पर 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। श्री मुकेश कुमार एईएन साहब वर्तमान में एपीओ होकर मुख्यालय जयपुर किया हुआ है फिर भी श्री रामनिवास जी मीणा, मुकेश कुमार जी एईएन साहब के भी पत्रावली एवं बिलो पर हस्ताक्षर करवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे है। श्री रामनिवास जी कनिष्ठ अभियंता द्वारा पिछले काफी समय से मेरे भुगतान बिलो को जानबूझकर अपने पास पटक रखा है। श्री रामनिवास मीणा जेईएन साहब जब तक मेरे से 2.00 लाख रूपये स्वयं के लिये एवं 60 हजार रूपये श्री मुकेश जी सहायक अभियंता के लिये रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे द्वारा किये गये निर्माण कार्यो के भुगतान संबंधित बिलो को अपने हस्ताक्षर कर आगे फोरवर्ड नही करेंगे तथा मुझे जानबूझकर बार बार चक्कर देकर अनावश्यक परेशान करेंगे। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता एवं श्री मुकेश जी सहायक अभियंता को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि ऐसे भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। मेरी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता एवं श्री मुकेश जी सहायक अभियंता से किसी प्रकार की रंजिश नही है और न ही किसी प्रकार का लेनदेन बकाया है। आज मैं आपको उपरोक्त चारो कार्यो के वर्क आर्डर एवं कार्यो के भुगतान बिलो तथा मेरी फर्म के रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी की प्रति एवं मेरे आधार कार्ड की फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी श्री विष्णु कुमार को एसओ के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता को संदिग्ध अधिकारी श्री रामनिवास मीणा के पास जाकर अपने लंबित कार्य एवं उसके द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड कर सत्यापन हेतु बताया गया तो परिवादी नें कहा कि मुझे श्री रामनिवास जी नें बातचीत के लिये रविवार दिनांक 16.02.2025 को बुलाया है। शायद उससे पहले रामनिवास जी मेरे से वार्ता नही करेंगे। परिवादी के बताये अनुसार एसओ से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन दिनांक 16.02.2025 को होना है। अतः परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता को दिनांक 16.02.2025 को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु पाबंद कर रूख्सत किया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 16.02.2025 समय 9.15 ए.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार ने मुझ पारसमल, उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि श्री रामनिवास जी मीणा JEN सा. आज पुष्कर ही है, तथा मुझे पहले उन्होने रविवार को रिश्वत राशि लेकर आने की बताया था। मैं आज पुष्कर जाकर श्री रामनिवास जी से मेरे लम्बित कार्य एवं रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा लूंगा। परिवादी से वार्तानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय 9.20 ए.एम पर कानि. श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री रामपाल ASI को मन उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा श्री गजेन्द्र सिंह कानि 15 को गोपनीय कार्यवाही एवं मांग सत्यापन वार्ता कार्यवाही हेतु हमराह चलने एवं श्री रामपाल सउनि को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री रामपाल ASI ने मालखाने से एक नया मैमोरी कार्ड 64 G.B Sandisk Extreme एवं कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर लाकर प्रस्तुत किया। समय 9.30 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह 15 के मय कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड मय प्राईवेट वाहन के पुंष्कर के लिये रवाना हुआ। समय 11.35 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक अजमेर पहुंचकर परिवादी श्री विष्णु कुमार से जरिये मोबाईल Whatsapp voice call से वार्ता की

तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी मेरे मकान B-501 महाराणा प्रताप नगर कोटडा अजमेर पर ही हूं। मेरी आपसे बातचीत होने के बाद मेरे पास श्री रामनिवास जी Jen सा. का Whatsapp voice call आया तथा मुझे कहा कि आप 1.00 बजे बाद पुष्कर आ जाना, श्री रामनिवास जी मेरे से 1.00 बजे पहले किसी प्रकार की वार्ता नही करेंगे। इस पर मन उप अधीक्षक परिवादी के आवास महाराणा प्रताप नगर कोटडा अजमेर रवाना हुआ। समय 12 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के परिवादी श्री विष्णु कुमार के आवास पर पहुंचे, जहां परिवादी श्री विष्णु कुमार ने बताया कि SO रामनिवास मेरे से रिश्वत राशि के संबंध में आज ही वार्ता करेंगे। जिस पर मन पारसमल उप अधीक्षक ने परिवादी का हमराही कानि. श्री गजेन्द्र सिंह का आपस में परिचय कराया गया, दोनो के मोबाईल नम्बर आपस में शेयर किये, तथा कानि. को परिवादी के साथ जाकर मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करने के निर्देश दिये। कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर को बंद एवं चालू करने की प्रक्रिया परिवादी को समझाई गई। नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी सेनडिस्क का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगाया गया तथा कानि. श्री गजेन्द्र सिंह को निर्देश दिये कि आप परिवादी को एसओ के पास वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉइस रिकार्डर अच्छी तरह से चालू कर देवे। तथा एसओ की आम शोहरत की गोपनीय जानकारी करे। समय 12.50 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी स्वयं की कार से पुष्कर की ओर रवाना हुए। समय 01.20 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह मय परिवादी के पुष्कर राजकीय महाविधालय पहुंचे। तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से एसओ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई गई तो एसओ ने खाना खाने के बाद दुबारा कॉल करने के लिये कहा, वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता परिवादी से व्हाट्सएप वॉइस कॉल से हुई। समय 01.47 पी.एम पर एसओ ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर व्हाट्सएप्प वॉइस कॉल कर पूरणखण्ड स्थित धर्मशाला आने हेतु बताया। परिवादी एवं एसओ की वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा परिवादी को एसओ के बताये स्थान पूरणखण्ड धर्मशाला की ओर उसकी कार से रवाना कर मन उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के परिवादी की गाडी के पीछे पीछे रोडवेज बस स्टेण्ड (पुराना बस स्टेण्ड) के पास पहुंचे, तथा समय 1.57 पी. एम पर कानि. श्री गजेन्द्र सिंह नें कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू कर परिवादी को दिया, परिवादी श्री विष्णु कुमार ने कार्यालय का रिकार्डर चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बाई जेब में रखकर पूरण खण्ड धर्मशाला की ओर रवाना हुए तथा मन उप अधीक्षक मय कानि. अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आस पास ही मुकीम हुए। थोड़ी देर एक व्यक्ति आयु 40-42 वर्ष का परिवादी की गाडी कार में आगे की सीट पर आकर बैठा तथा परिवादी उस व्यक्ति को लेकर नया रोडवेज स्टैण्ड परीसर की ओर जाते हुए दिखाई दिया। कुछ समय बाद परिवादी नया रोडवेज बस स्टेण्ड से वापस पूरणखण्ड धर्मशाला रास्ते पर आता नजर आया, तथा परिवादी की कार में आगे की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ परिवादी से वार्ता करता नजर आ रहा था। उसके बाद परिवादी की कार से एक व्यक्ति उतरा, परिवादी अपनी कार लेकर पुष्कर राजकीय महाविधालय की ओर रवाना हुआ। मन पारसमल मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के मय प्राईवेट कार से परिवादी की कार के पीछे पीछे राजकीय महाविधालय पुष्कर की ओर रवाना हुए। समय 02.47 पी.एम पर मन उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के परिवादी की कार के पीछे पीछे राजकीय महाविधालय पुष्कर पहुंचे, जहां कानि. श्री गजेन्द्र सिंह नें परिवादी से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू हालत में प्राप्त कर बंद किया तथा परिवादी ने बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह जी से मैने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू हालत मे लेकर मेरी शर्ट की उपर की बाई जेब में रखा, इसके बाद मैने पूरणखण्ड मार्ग के पास गाडी रोककर श्री रामनिवास जी मीणा को व्हाट्सएप्प कॉल किया, तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप वही रूको और उसी समय श्री रामनिवास जी मेरी गाडी में मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गये। तथा मुझे रामनिवास जी नये बस स्टैण्ड के पास एक रेस्टोरेंट पर लेकर चले गये। वहां मैने मेरे पेडिंग बिलो के भुगतान संबंधी बातचीत की, इसी दौरान परिवादी ने बताया श्री रामनिवास जी ने अपने लडके से भी फोन पर बातचीत की। करीबन 20 मिनट बाद हम वापस पूरणखण्ड मार्ग के पास आकर रूके तथा गाडी मे ही जेईएन साहब नें मेरे कुल बकाया 4 बिलो के भुगतान की राशि लगभग 12,33,000/- (कटौती के बाद), एक में भुगतान हुए बिल राशि लगभग 8,50,000/- रूपये कुल 20,83,000/- रूपये के 10 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 2,00,000/- रूपये तथा श्री मुकेश चौहान सहायक अभियंता (तत्कालीन पुष्कर नगर परिषद) के 3 प्रतिशत कमीशन राशि के हिसाब से 36,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की। तथा 50,000/- रूपये वार्ता के दौरान ही श्री रामनिवास जी जेईएन साहब ने मेरे से ग्रहण कर लिये तथा कहा कि एईएन साहब अजमेर ही आये हुए है, उनको मैं यही पुष्कर बुला लेता हूँ। जो आपकी पेंडिग पत्रावली में और क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट (क्यू. सी.) और मौके पर हुए निर्माण कार्यो की फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर कर देगा। श्री रामनिवास जी ने कहा कि ये राशि 50,000 /- रूपये तो मुकेश जी को देकर उनको फ्री कर देते है। शेष राशि 1,86,000/- रिश्वत राशि की ओर मांग की। तत्पश्चात परिवादी नें बताया कि श्री रामनिवास जी ने कहा कि एईएन साहब मुकेश जी आते ही मैं आपको बुलाता हूँ। श्री रामनिवास जी, एईएन साहब के आने के बाद मुझे वापस बुलायेंगे तथा मेरे सभी भुगतान बिलो की पत्रावलियों, क्यू.सी. रिपोर्ट और फोटो पर हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चालू

कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई। एसओ परिवादी को पुनः बुलाकर पेंडिग पत्रावलियो पर हस्ताक्षर करने तथा एईएन श्री मुकेश को भी क्वालिटी कन्ट्रोल रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर करने की कहेगा और श्री रामनिवास जेईएन नें 36,000/- रूपये के काम पर परिवादी से 50,000/- रूपये रिश्वत राशि एईएन श्री मुकेश को देने के लिये ली है। अतः एसओ श्री रामनिवास, श्री मुकेश एईएन की परिवादी को भेजकर पुनः वार्ता रिकार्ड करवाना आवश्यक होने से एसओ के मोबाईल कॉल के इंतजार में पुष्कर राजकीय महाविधालय के आस पास मय परिवादी मय कानि. के मुकीम हुआ। समय 5.पी.एम पर श्री रामनिवास जेईएन का परिवादी के पास कॉल आया, परिवादी को मेला ग्राउंड के पास पुरानी कोट अम्बेडकर भवन के सामने, चाय की थडी पर बुलाया, जिस पर कानि. श्री गजेन्द्र सिंह को परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू कर सिपुर्द करने के निर्देश दिये, जिस पर कानि. श्री गजेन्द्र सिंह नें परिवादी को कार्यालय डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू कर दिया। परिवादी को स्वयं की कार से मेला मैदान की तरफ रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक मय कानि. के परिवादी के पीछे पीछे मेला मैदान की तरफ रवाना हुआ। मन पारसमल उप अधीक्षक मय परिवादी व कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के मेला मैदान पहुंचे। जहां पर कानि श्री गजेन्द्र सिंह को एसओ की आम शोहरत के बारे मे गोपनीय जानकारी हेतु भेजा गया तथा मन उप अधीक्षक एसओ के आवास के आस पास वाहन को खडा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। परिवादी समय 5.07 पी.एम पर अपनी कार खडी कर मेला ग्राउंड के पास पुरानी कोट अम्बेडकर भवन के सामने, चाय की थडी की ओर जाते हुए दिखा। समय 05.30 पी.एम पर परिवादी, एसओ से वार्ता कर वापस दिखाई दिया तथा अपनी कार में बैठकर अजमेर की ओर रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के परिवादी की कार के पीछे पीछे रोड पर पहुंचे तथा समय 05.40 पी.एम पर परिवादी नें कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू हालत में कानि. श्री गजेन्द्र सिंह के सुपुर्द किया, जिसने डिजीटल वॉइस रिकार्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री विष्णु कुमार ने बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह नें मुझे कार्यालय का वॉइस रिकार्डर चालू कर दिया जिसको मैने अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बायी जेब में रखा तथा कॉलेज से रवाना होकर मेरी कार को मेला ग्राउंड के पास पुरानी कोट अम्बेडकर भवन के सामने, चाय की थडी के सामने खडी कर चाय की थडी पर पहुंचा, जहां श्री रामनिवास जी एवं एईएन श्री मुकेश जी मौजूद मिले। श्री रामनिवास जी ने मेरे से पूर्व में आज ही ग्रहण की गई रिश्वत राशि 50,000/- रूपये में से 36,000/- रूपये ही श्री मुकेश जी एईएन साहब को दिये है व शेष रिश्वत राशि 14,000/- रूपये अपने पास ही रख ली। लेकिन श्री मुकेश जी एईएन साहब नें मेरी पेंडिग भुगतान बिलो की पत्रावली पर तो साइन कर दिये, लेकिन क्यू.सी. और फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर नही किये। श्री मुकेश जी एईएन साहब को भी मैनें श्री रामनिवास जी जेईएन साहब को 50,000/- रूपये दिये जाने से संबंधित बात बतायी है तथा श्री रामनिवास जी जेईएन साहब नें मुझे कहा कि अभी मैं श्री मुकेश जी एईएन साहब को 50,000/- रूपये देकर क्यू. सी. और फोटोग्राफ पर साईन करवा दूंगा। तथा श्री रामनिवास जी जेईएन साहब नें मेरे से 2,00,000/- रूपये रिश्वत की राशि कल तक व्यवस्था कर देने हेतु कहा है। श्री रामनिवास जेईएन साहब नें अब मेरे से 2,00,000/- (दो लाख रूपये) रिश्वत की मांग की है। परिवादी नें बताया यहां आस पास में यात्रीकर नाका है तथा यहां निगम के ठेकेदारो के कर्मचारी आते जाते रहते है। जिसमें कोई भी कर्मचारी जेईएन साहब को एसीबी कार्यवाही की सूचना दे सकता है। जिस पर मन उप अधीक्षक मय परिवादी के पुष्कर से रवाना होकर समय 6.00 पी.एम पर परिवादी के कोटडा अजमेर स्थित आवास पर पहुंचे तथा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया तो श्री रामनिवास कनिष्ठ अभियंता नें परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से (प्रथम बार मांग सत्यापन वार्ता) पूरणखंड माली मंदिर के पास बुलाकर स्वयं के लिये भुगतान बिलो की कुल राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत राशि के हिसाब से 2.00 लाख रूपये एवं 3 प्रतिशत रिश्वत राशि श्री मुकेश चौहान, सहायक अभियंता से क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट एवं मौके के निर्माण कार्यो के फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर करवाने की ऐवज में 36,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर 50,000/- रूपये रिश्वत राशि दौराने मांग सत्यापन ग्रहण कर मुकेश चौहान को देना पाया गया। तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता व आरोपीगण श्री रामनिवास कनिष्ठ अभियंता व श्री मुकेश चौहान सहायक अभियंता के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री रामनिवास कनिष्ठ अभियंता द्वारा 50,000/- रूपये रिश्वत राशि श्री मुकेश चौहान को दिया जाना एवं स्वयं के लिये 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि कल दिनांक 17.02.2025 को लेने पर सहमत हुआ। अतः आरोपीगणों से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी। परिवादी को कल दिनांक 17.02.2025 को रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा में उपस्थित होने के निर्देश दिये एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। मन उप अधीक्षक मय श्री गजेन्द्र सिंह कानि के ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा हेतु रवाना होकर समय 09.30 पी.एम पर भीलवाडा पहुंचा। कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मन उप अधीक्षक की कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 20.02.2025 समय 03.30 पी.एम पर कानि. श्री इन्द्रजीत कानि 51 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 234 दिनांक 20.02.2025 से कार्यालय उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग जिला भीलवाडा रवाना किया गया। समय 06.15 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत कानि नं. 51 कार्यालय उप श्रम आयुक्त श्रम विभाग भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री ताराचंद शर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी बम्बोरिया, पुलिस थाना मेंदरासेज, जिला जयपुर हाल

श्रम निरीक्षक, कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाडा मो.नं. [redacted] 2.श्री आशीष कुमार पुत्र श्री पितराम सिंह, जाति अहीर, उम्र 33 वर्ष निवासी रसूलपुर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनु हाल श्रम निरीक्षक, कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाडा मो.नं. [redacted] के उपस्थित कार्यालय आये। गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 07.15 पी. एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता नें मुझ उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि अभी मेरे पास श्री रामनिवास जी जेईएन साहब का व्हाट्सएप्प वॉइस कॉल आया तथा मुझे कहा कि आप कल 11 बजे तक पुष्कर आकर मेरे से मिलो तथा कहा कि मैं आज पुष्कर से रिलीव हो गया हूं और मैं कल ही यहां से गंगापुर सिटी निकलूंगा। परिवादी नें बताया कि श्री रामनिवास जी जेईएन साहब मुझे रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये लेकर बुला रहे है और मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। संभवत वो रिश्वत राशि लेने के बाद ही मेरी पत्रावलियों पर हस्ताक्षर कर आगे फारवर्ड करेंगे यदि मैने रिश्वत राशि नही दी तो मुझे और ज्यादा चक्कर कटवाकर परेशान करेंगे। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता को प्रातः 6 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा में रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिये तथा कार्यालय के समस्त स्टाफ को प्रातः 6.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 21.02.2025 समय 06.00 ए.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता व पूर्व में पाबंदशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री आशीष कुमार श्रम निरीक्षक व श्री मनीष कुमार शर्मा श्रम निरीक्षक उपस्थित कार्यालय आये। गवाहान व परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तथा गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह की सहमति चाही गई तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया जाकर गवाहान के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को निकालकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश स्वतन्त्र गवाहान को सुनाये गये। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री रामनिवास मीणा पुष्कर नगर परिषद से स्थानांतरण हेतु रिलीव हो चुका है तथा आज ही 11 बजे तक अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर जा सकता है। समय 06.30 ए.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार को आरोपी श्री रामनिवास मीणा उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2.00 लाख रूपये प्रस्तुत करने की कहने पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता नें अपने पास से मात्र 60,000/- रूपये, 500-500 रूपये के कुल 120 नोट भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत कर मुझ उप अधीक्षक को कहा कि मैं 60,000/- रूपये से ज्यादा रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हूं और श्री रामनिवास जी को मैनें 2.00 लाख रूपये रिश्वत के नही दिये तो मेरी समस्त पत्रावलियों को स्वयं के हस्ताक्षर कर आगे फारवर्ड नही कर ज्यादा परेशान करेंगे। श्री रामनिवास जी मीणा आज ही मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। परिवादी द्वारा 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि में से मात्र 60,000/- रूपये ही प्रस्तुत किये है एवं मांग के अनुसरण में 1.40 लाख रूपये की व्यवस्था करने में परिवादी नें असमर्थता जाहिर की अतः शेष रिश्वत राशि 1.40 लाख रूपये के डमी नोट लाने हेतु श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को भीलवाडा शहर रवाना किया गया। जिस पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक 1.40 लाख रूपये के 500-500 रूपये के भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) के नोट परिवादी व गवाहान के समक्ष लाकर मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत 60,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा 500-500 के कुल 120 नोट व भारतीय मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी के 500-500 के कुल 280 के नम्बर फर्द में अंकित किये गये जो निम्नानुसार है – 1. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3WF 870504 2. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6AB 084875 3. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8CH 228777 4. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3RT 341689 5. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9KP 091874 6. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5QW 276619 7. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9BS 157590 8. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1FQ 121532 9. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3TP 476690 10. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9GE 921735 11. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8ML 411940 12. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4CM 606431 13. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4PH 925200 14. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6VA 744321 15. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7DE 220613 16. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2TM 120550 17. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0HC 337409 18. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0QN 090189 19. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9GQ 984039 20. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9WN 636619 21. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7VB 929348 22. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1KD 071587 23. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5GD 823473 24. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9DH 526644 25. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4TT 451404 26. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7FL 674298 27. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7KD 214819 28. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9DH 183122 29. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7DD 403719 30. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6DP 378069 31. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4PF 973085 32. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2ND 570985 33. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9FV 080368 34. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6CT 634263 35. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9ND 159069 36. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6SR 871617 37. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9ND 159068 38. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9ND 159092 39. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8AH 353515 40. एक 500 रूपये का

नोट नम्बर 0HM 197565 41. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9ND 159093 42. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4NC 847541 43. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8PN 373966 44. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4WA 718314 45. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2GA 682710 46. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5VH 659845 47. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3RE 301803 48. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9MC 612312 49. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8MF 622493 50. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8CC 769461 51. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4KA 552007 52. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3QK 035881 53. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6QH 863060 54. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1PF 496605 55. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0QA 066240 56. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1FT 352696 57. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3GQ 563658 58. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0NG 472630 59. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2LW 413959 60. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9HG 351479 61. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4NK 826536 62. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7BW 799104 63. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2QK 723889 64. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8BM 981157 65. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4UD 222428 66. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2KD 559913 67. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5VA 433174 68. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0NM 562060 69. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9VQ 120682 70. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0QF 204047 71. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3RU 666227 72. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5ES 124665 73. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3FF 885880 74. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1AF 297458 75. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5AL 114088 76. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8AE 516442 77. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6KU 024869 78. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3KV 654577 79. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4FG 249323 80. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2KR 157199 81. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6FE 026079 82. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5FC 732168 83. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4LV 340438 84. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0NK 047972 85. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3EM 923161 86. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0VL 068115 87. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2QT 718917 88. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2AT 624723 89. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9FE 781180 90. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4VQ 892020 91. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6SU 362255 92. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2MV 392824 93. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8LV 475901 94. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8MS 485349 95. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1CQ 528712 96. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2NR 315531 97. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5SW 527708 98. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9AG 387721 99. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3RD 943083 100. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8RT 798971 101. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2UF 638675 102. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4LF 087919 103. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6PV 044811 104. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3LW 487705 105. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2HK 714713 106. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6AQ 793254 107. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6AQ 793255 108. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9HF 097996 109. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1PR 445715 110. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2PH 427676 111. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8QC 726245 112. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4HU 671369 113. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9FC 384451 114. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3VD 746490 115. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7TU 958858 116. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7ND 451716 117. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9TG 214683 118. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6RT 614355 119. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7UK 068240 120. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5FR 117291 उक्त सभी नोटो पर कार्यालय के श्री रामेश्वर कानि 250 से मालखाने से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर गवाहान व परिवादी के समक्ष उक्त सभी रिश्वत राशि नोटो पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया तथा रिश्वत राशि नोट परिवादी की पहनी हुयी जैकेट की बायीं जेब में रखवाये गये। सोडियम कार्बोनेट और फिनोफ्थेलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का द्रष्टांत देकर समझाया गया। फर्द पर सभी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री पवन कानि 417, श्री अशोक कानि 367 व दोनो स्वतन्त्र गवाह, श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक, श्री रामपाल सउनि, श्री गोपाल जोशी सउनि व सरकारी वाहन बोलेरो में श्रीमती कल्पना पुलिस निरीक्षक, श्री नेमीचंद सउनि, श्री इन्द्रजीत कानि 51 व परिवादी के साथ परिवादी की स्वयं की कार से श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 15, श्री राजवीर कानि 58 के मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय लेपटाप, प्रिंटर के पुष्कर हेतु रवाना हुए तथा परिवादी को रिजनल चौराहा अजमेर पर एक मोटर साईकिल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। समय 10.50 ए.एम पर मन उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय जाप्ते के रिजनल चौराहा अजमेर पहुंचे जहां परिवादी द्वारा स्वयं की एक स्कुटी उपलब्ध करवायी जिस पर श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री पवन कानि को स्कुटी सुपुर्द कर दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के आस पास ही उपस्थित होकर रिश्वत राशि लेन देन की कार्यवाही को देखने व सुनने के निर्देश दिये तथा एक नया मेमोरी कार्ड 32 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी का निकालकर कार्यालय के डिजीटल वॉइस

रिकॉर्डर में लगाकर कानि. श्री गजेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से आरोपी श्री रामनिवास मीणा की लोकेशन जानने हेतु कॉल किया गया लेकिन आरोपी नें फोन रिसीव नही किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी की कार के पीछे पीछे पुष्कर हेतु रवाना हुआ। समय 11.45 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान, मय परिवादी के पुष्कर स्थित मेला ग्राउंड के पास पहुंचा तथा अन्य एसीबी स्टाफ को स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुये, मुकीम होने के निर्देश दिये तथा श्रीमती कल्पना पुलिस निरीक्षक को बुढा पुष्कर के पास मुकीम होने के निर्देश दिये। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री रामनिवास मीणा के मोबाईल पर वार्ता करवायी जाकर लोकेशन जाननी चाही तो आरोपी द्वारा थोडी देर में आने की कहा गया। उक्त मोबाईल पर हुई वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में कानि. श्री गजेन्द्र सिंह से रिकॉर्ड करवाई गई। तथा आरोपी के उपस्थित आने एवं फोन कॉल के इंतजार में वैष्णव रेस्टोरेंट नागौर रोड की तरफ पहुंचकर स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ। समय 01.26 पी.एम पर आरोपी श्री रामनिवास मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर व्हाट्सएप्प कॉल आया तथा परिवादी को मेला ग्राउंड की तरफ आने हेतु कहा गया। मोबाईल पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड कर समय 01.30 पीएम पर मेला ग्राउंड की तरफ रवाना हुये। समय 01.40 पी.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता को कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर चालू कर कानि. श्री गजेन्द्र सिंह से दिलवाया गया। परिवादी द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर चालू हालत में अपने पहने हुये शर्ट की उपर की बायी जेब में रखकर मेला ग्राउंड की तरफ रवाना किया गया। तथा मन उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ते के मेला मैदान केम्पस व गेट नं. 02 के आस पास स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुए। समय 1.50 पी.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता नें मुझ उप अधीक्षक पारसमल को जरिये मोबाईल आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में सूचना दी जिस पर मन उप अधीक्षक एसीबी स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान के पुष्कर मेला मैदान केम्पस के पास स्थित चाय की थडी पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता व एक व्यक्ति खडा मिला। परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा लिया जाकर बंद किया गया। परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता नें पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री रामनिवास जी मीणा जेईएन साहब है, जिन्होने अभी अभी मेरे से 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है तथा अपने भाई श्री महेश मीणा को दिलवायी है। जिस पर कार्यालय स्टॉफ श्री गजेन्द्र सिंह कानिस्टेबल व श्री राजवीर कानिस्टेबल से उक्त शख्स के दोनो हाथ कलाई के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का एवं एसीबी टीम का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया तत्पश्चात उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री रतीराम मीणा, उम्र 46 वर्ष, निवासी खेडली कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर, जिला अजमेर का होना बताया। जिससे मन उप अधीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैनें विष्णु कुमार जी से कोई रिश्वत राशि नही ली है। इन्होने मुझे गलत फंसाया है तथा एसीबी स्टॉफ से अपने आप को छुडाने की कोशिश की, जिस पर उक्त शख्स जेईएन श्री रामनिवास मीणा को चाय की थडी से अम्बेडकर भवन की ओर सुरक्षित स्थान पर पकडे पकडे ले जाया गया तो अपने आप को काफी मशक्कत कर एसीबी टीम से छुडाने की कोशिश करता रहा। जिसको मन उप अधीक्षक द्वारा बार बार तसल्ली देकर रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो कहा कि मैनें इनसे कोई पैसे नही लिये और इनका कोई काम मेरे पास पैण्डिंग नही है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने व अपने हाथो में लेकर गिनने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं अम्बेडकर भवन के सामने मेरी कार को खडा कर श्री रामनिवास जी से रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता हेतु उनके आवास की तरफ जाने लगा तो श्री रामनिवास जी मुझे इनके सरकारी आवास के गेट पर ही मिल गये तथा मुझे अपने साथ बातचीत करते हुये मेला ग्राउंड के गेट नं. 02 के पास लेकर गये तथा मुझे रिश्वत राशि लाने के संबंध में पूछा तो मैने कहा कि मैं रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये लेकर आया हूँ, जिस पर मुझे जेईएन साहब नें कहा कि केश लेकर आये हो, इसके बाद जेईएन साहब नें अपने चचेरे भाई महेश मीणा हाल जमादार को फोन कर बुलाया तथा रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये श्री महेश मीणा को देने के लिये कहा तथा श्री रामनिवास जी नें अपने हाथ में रिश्वत राशि नही ली। श्री महेश मीणा ने तुरंत ही रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये अपने हाथ में लेकर आगे पीछे से चैक कर अपनी पेंट की जेब में रख ली। इसके बाद तुरंत ही मैने आपको सूचना दी तब तक श्री महेश मीणा रिश्वत राशि लेकर मोटर साईकिल से अम्बेडकर सर्किल की तरफ निकल गया। चूंकि मौके पर नगर परिषद पुष्कर के सफाई कर्मियो, ब्रह्मा मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड होने से कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के मध्येनजर मय एसीबी ट्रेप पार्टी सदस्य मय स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी श्री रामनिवास मीणा को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन से समय 2.00 पी.एम पर रवाना होकर पुलिस थाना पुष्कर पहुंचे तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से पुनः आरोपी श्री रामनिवास एवं श्री महेश मीणा द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछताछ की तो कहा कि रामनिवास जी नें अपने भाई महेश मीणा को अपने मोबाईल से फोन कर बुलाया था तथा महेश मीणा से मेरे सामने ही फोन पर बात की थी तथा सीधे ही रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये महेश मीणा को देने हेतु कहा जिस पर मैने महेश मीणा को रिश्वत राशि दे

दी। श्री रामनिवास मीणा नें रिश्वत राशि अपने हाथ में नही ली। तत्पश्चात श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता से रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये अपने चचेरे भाई महेश मीणा को दिलाये जाने के संबंध में पूछा तो कहा कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है और न ही मैनें महेश मीणा को रिश्वत राशि दिये जाने के संबंध में कहा। जिस पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता नें पुनः बताया कि आप अभी रामनिवास जी का मोबाईल फोन चैक कर ले, जिसमें रामनिवास जी द्वारा अपने भाई महेश मीणा को कॉल करने की डिटेल मिल जायेगी। तथा श्री रामनिवास जी मीणा नें उक्त रिश्वत राशि लाने एवं श्री महेश मीणा को दिये जाने की वार्ता आपके कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में भी रिकॉर्ड हुई है। जिस पर श्री रामनिवास मीणा से उसके मोबाईल विवो 1938 का पेटर्न लॉक खुलवाकर कॉल डिटेल चैक की गई तो श्री रामनिवास मीणा नें अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री महेश मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 21.02.2025 को समय 01.49 पी.एम पर आउटगोइंग कॉल होना पायी गयी। जिस पर पुनः श्री रामनिवास मीणा से पूछताछ की गई कि आपने महेश मीणा को रिश्वत राशि दिये जाने तथा पूर्व में भी परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के लंबित बिलो के भुगतान एवं पत्रावलियों पर आपकी कार्यवाही एवं सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान के हस्ताक्षर करवाने की ऐवज में दिनांक 16.02.2025 को आप द्वारा 2.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग स्वयं के लिये तथा 50,000/- रूपये श्री मुकेश चौहान सहायक अभियंता को दिलवाये है। इस संबंध में श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता नें कुछ नही बोला, चुप रहा। मन उप अधीक्षक द्वारा मौके से रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये लेकर फरार हुये श्री महेश मीणा को कॉल कर बुलाने हेतु श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता को बताया और श्री महेश मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मन उप अधीक्षक द्वारा तकनिकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर मुख्यालय से लोकेशन जाननी चाही तो स्वीच आफ होना पाया गया। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक मय टीम के आरोपी श्री महेश मीणा की तलाश पतारसी हेतु पुष्कर कस्बे की ओर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा थाने पर उपस्थित श्री छीतरलाल सहायक उप निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु बताया तो श्री छीतरलाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा ड्यूटी अधिकारी रेस्ट रूम उपलब्ध करवाया। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। निर्देशानुसार श्रीमती कल्पना बंसीवाल पुलिस निरीक्षक को श्री रामनिवास मीणा के सरकारी आवास की खाना तलाशी लिये जाने के निर्देश दिये गये। श्री रामनिवास मीणा की श्री महेश मीणा से आज दिनांक 21.02.2025 को हुई मोबाईल वार्ता की कॉल हिस्ट्री चैक की गई तो श्री रामनिवास मीणा नें समय 11.31 ए.एम, समय 11.37 ए.एम, समय 01.49 पी.एम पर आउटगोइंग कॉल किया जाना पाया गया व समय 11.42 ए.एम पर इनकमिंग कॉल पायी गयी। तत्पश्चात श्री रामनिवास मीणा के मोबाईल में आरोपी श्री महेश चंद भाई के नाम से मोबाईल नम्बर [redacted] से व्हाट्सएप्प कॉन्ट्रेक्ट प्रोफाईल सेव होना पायी गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 एवं आज दिनांक 21.02.2025 को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को चालू कर गवाहान के समक्ष श्री रामनिवास मीणा को सुनायी गई तथा दिनांक 16.02.2025 को परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से (प्रथम बार मांग सत्यापन वार्ता) पूरणखंड माली मंदिर के पास बुलाकर स्वयं के लिये भुगतान बिलो की कुल राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत राशि के हिसाब से 2.00 लाख रूपये एवं 3 प्रतिशत रिश्वत राशि श्री मुकेश चौहान, सहायक अभियंता से क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट एवं मौके के निर्माण कार्यो के फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर करवाने की ऐवज में 36,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर 50,000/- रूपये रिश्वत राशि दौराने मांग सत्यापन ही ग्रहण करने के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो श्री रामनिवास कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि मेरे पास गुप्ता जी के कोई बिल पेंडिग नही है तथा मेरे द्वारा दिनांक 16.02.2025 को मुकेश -चौहान के लिंये किसी प्रकार की रिश्वत राशि की मांग नही की गयी और न ही मैनें मेरे लिये 2.00 लाख रूपये की मांग की गयी। जिस पर श्री रामनिवास मीणा को मांग सत्यापन वार्ता को चालू कर सुनाया गया तो कहा कि आवाज तो मेरी ही है। लेकिन मैनें गुप्ता जी से कोई पैसे नही लिये। तत्पश्चात आज दिनांक 21.02.2025 को परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता को पुष्कर स्थित मेला ग्राउंड के पास बुलाकर उससे 2.00 लाख रूपये अपने चचेरे भाई श्री महेश मीणा को दिलवाये जाने के एवं श्री महेश मीणा को समय 01.49 पी.एम पर कॉल कर गेट पर बुलाने के संबंध में आप द्वारा कॉल के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि मैने इनसे कोई पैसे नही लिये। मैने इनको महेश को पैसे देने के लिये भी नही कहा है। श्री रामनिवास कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया है। आरोपी श्री रामनिवास मीणा के मोबाईल में श्री महेश मीणा को किये गये कॉल रिकार्ड हिस्ट्री एवं व्हाटसएप्प चैट के फोटोग्राफ कानि. श्री पवन 417 के फोन में पीडीएफ कानि. के ईमेल एड्रेस से कार्यालय की जीमेल आई.डी पर मेल कर प्रिंट प्राप्त कर गवाहान व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये। इसी प्रकार श्री मुकेश चौहान के मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री रामनिवास मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई व्हाट्सएप्प वॉइस कॉल हिस्ट्री के फोटोग्राफ कानि. श्री पवन 417 के फोन में पीडीएफ कानि. के ईमेल एड्रेस से कार्यालय की जीमेल आई.डी पर मेल कर प्रिंट प्राप्त कर गवाहान व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी के लम्बित कार्यो से संबंधित पत्रावलियां नगर परिषद पुष्कर से तलब की गई जो श्री रेशल सिंह, मो.नं. [redacted], सहायक अभियंता, नगर परिषद पुष्कर से उपस्थित आये, जिनसे परिवादी की पेंडिंग पत्रावलियों के संबंध में पूछताछ की गई तो परिवादी श्री विष्णु

कुमार द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य वर्क आर्डर संख्या 5312 दिनांक 15.03.2024 गुरूद्वारा मोड से हाईब्रिज तक क्षतिग्रस्त सीसी / डामर रोड एस.डी रिफंड राशि 95010/- जो केशियर स्तर पर दिनांक 11.02.2025 से लंबित है। वर्क आर्डर संख्या 1090 दिनांक 30.08.2024 वार्ड नं. 06 में रणछोडदास स्कूल के पीछे, रमेश पाराशर जी के मकान से कमला जी के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य की पत्रावली जो लेखा शाखा स्तर पर पेंडिंग है। कार्य से संबंधित माप पुस्तिका संख्या 07/2021-22 में कार्य 29.10.2024 को पूर्ण बताया हुआ है। लेकिन उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास मीणा एवं सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान द्वारा पूरी पत्रावली में कही भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का अंकन नही किया हुआ है, इसलिये यह नही बताया जा सकता है कि उक्त पत्रावली लेखा शाखा में कब से पेंडिग है । वर्क आर्डर संख्या 2021 दिनांक 18.10.2024 वार्ड नम्बर 06 में रणछोडदास स्कूल के ऊपर की तरफ दिवार निर्माण कार्य की पत्रावली जो लेखा शाखा स्तर पर पेंडिंग है। कार्य से संबंधित माप पुस्तिका संख्या 15/2016-17 में कार्य 24.11.2024 को पूर्ण बताया हुआ है। लेकिन उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास मीणा एवं सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान द्वारा पूरी पत्रावली में कही भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का अंकन नही किया हुआ है, इसलिये यह नही बताया जा सकता है कि उक्त पत्रावली लेखा शाखा में कब से पेंडिग है। वर्क आर्डर संख्या 2014 दिनांक 18.10.2024 पुष्कर मेला 2024 के तहत परिषद क्षेत्र में जगह जगह पेचवर्क कार्य की पत्रावली जो लेखा शाखा स्तर पर पेंडिंग है। कार्य से संबंधित माप पुस्तिका संख्या 06/2016-17 में कार्य 16.11.2024 को पूर्ण बताया हुआ है। लेकिन उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास मीणा एवं सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान द्वारा पूरी पत्रावली में कही भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का अंकन नही किया हुआ है, इसलिये यह नही बताया जा सकता है कि उक्त पत्रावली लेखा शाखा में कब से पेंडिग है। वर्क आर्डर संख्या 2010 दिनांक 18.10.2024 पुष्कर मेला 2024 के तहत परिषद क्षेत्र में जगह जगह जीएसबी सप्लाई मय बिछाई कार्य की पत्रावली जो सहायक अभियंता स्तर पर पेंडिंग है। कार्य से संबंधित माप पुस्तिका संख्या 06/2016-17 में कार्य 16.11.2024 को पूर्ण बताया हुआ है। लेकिन उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास मीणा के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का अंकन नही है एवं पत्रावली में सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान के हस्ताक्षर नही है। उक्त पत्रावली सहायक अभियंता के स्तर पर पेंडिंग है। श्री विष्णु कुमार गुप्ता के वर्क आर्डर नम्बर 3138 दिनांक 07.10.2023 की पत्रावली के संबंध में पत्रावली देखकर बताता हूँ कि कमिश्नर साहब ने अपने हस्ताक्षर में दिनांक का अंकन नही किया तथा उक्त पत्रावली किसको मार्क की यह अंकित नही किया। श्री विष्णु कुमार गुप्ता की पेंडिंग पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियां आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ जिस पर श्री जनार्दन जी शर्मा आयुक्त के हस्ताक्षर है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा नगर परिषद पुष्कर क्षेत्र में करवाये गये निर्माण कार्यो के पैण्डिग बिलो के भुगतान सम्बंधित पत्रावली पर हस्ताक्षर कर आगे एईएन व कमिश्नर को भिजवाने की ऐवज में बिलो की भुगतान राशि 12,33,000/- रूपये एवं पूर्व में कराये गये कार्यो के भुगतान हो चुकी राशि 8.50 लाख रूपये कुल राशि 20,83,000 /- रूपये की 10 प्रतिशत कमीशन रिश्वत राशि के हिसाब से 2.00 लाख रूपये स्वयं के लिये तथा सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान हाल स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर (एपीओ) के लिये उससे क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट व मौके के निर्माण कार्यो के फोटोग्राफ्स पर हस्ताक्षर करवाने की ऐवज में 12,33,000/- रूपये की 5 प्रतिशत रिश्वत राशि 60,000/- रूपये की मांग की गई। दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 को श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता नें प्रथम मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी से 50,000/- रूपये रिश्वत राशि श्री मुकेश चौहान सहायक अभियंता को दिये जाने के लिये ग्रहण की। तथा स्वयं के लिये 1.86 लाख रूपये की मांग की तत्पश्चात दिनांक 16.02.2025 को ही श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता नें श्री मुकेश चौहान को पुष्कर बुलाकर 50,000/- रूपये रिश्वत राशि देकर परिवादी के निर्माण कार्यो के लंबित बिलो की भुगतान पत्रावली एवं माप पुस्तिका में हस्ताक्षर करवाये जाना तथा स्वयं के लिये 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर दूसरे दिन दिनांक 17.02.2025 को लिये जाने पर सहमत हुआ। तत्पश्चात दिनांक 21.02.2025 को आरोपी श्री रामनिवास मीणा द्वारा मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 के अनुसरण में 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि (जिसमें 500-500 रूपये के कुल 120 नोट कुल राशि 60,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी करेंसी 500-500 के कुल 280 नोट कुल राशि 1,40,000/- रूपये) लेकर परिवादी को पुष्कर मेला मैदान केम्पस के पास बुलाया तथा अपने चचेरे भाई श्री महेश मीणा हाल सफाई कर्मचारी (कार्यवाहक जमादार) नगर परिषद पुष्कर को बुलाकर परिवादी से रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये दिलवायी गई। तथा श्री महेश मीणा द्वारा रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये लेकर मौके से फरार होकर तथा रिश्वत राशि संबंधित साक्ष्यो को खुर्द बुर्द करना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण 1. श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर, 2. श्री महेश मीणा सफाई कर्मचारी (कार्यवाहक जमादार) नगर परिषद पुष्कर 3. श्री मुकेश चौहान तत्कालीन सहायक अभियंता, नगर परिषद पुष्कर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 का घटित होना पाया जाता है। समय 11.05 पी.एम पर आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही की कानि. श्री अशोक कुमार के मोबाईल में मैमोरी कार्ड डालकर

धारा 105 बीएनएसएस 2023 के तहत आडियो विडियो रिकार्डिंग की गई। समय 11.20 पी.एम पर आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता का मोबाईल में प्रकरण की विषय वस्तु होने एवं अनुसंधान हेतु आरोपी का मोबाईल वीवो कम्पनी 1938 को जरिये फर्द जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त मोबाईल को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। बाद अनुसंधान गवाहान के समक्ष उक्त मोबाईल को शिल्ड किया जायेगा। फर्द पर सभी गवाहान व संबधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 22.02.2025 समय 12.10 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के रवाना होकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, स्पेशल यूनिट अजमेर पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 01.00 ए.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड वार्ताओं के मैमोरी कार्ड को कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर में लगाकर कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द ब शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट वार्ता तैयार की गई। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी नें एक आवाज स्वयं की तथा अन्य दो आवाजे पृथक पृथक आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता व श्री मुकेश चौहान, सहायक अभियंता की होना बताया। रिकार्ड वार्ताओ के मूल मैमोरी कार्ड से कॉपी कर रिकार्ड वार्ताओ के चार पेनड्राईव तैयार किये गये। जिसमें एक पेनड्राईव मार्क पीडी -1 न्यायालय हेतु, आरोपीगणों हेतु मार्क पीडी-2 व पीडी-3 को उसी के कवर में रखकर, सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया गया तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान हेतु कागज के लिफाफे में रखकर खुला रखा गया तथा रिकार्ड वार्ताओ के मूल मैमोरी कार्ड को उसी के कवर में रखकर कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर मार्क एम-1 दिया गया। शिल्डशुदा आर्टिकल पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई गई। फर्द पर नमूना शील ACB BLA-1 12 की ब्रास शील अंकित की गई। उक्त फर्द समय 01 ए.एम पर प्रारम्भ कर समय 07.00 एएम पर समाप्त की गई। समय 07.20 ए.एम पर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 21.02.2025 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड वार्ताओं के मैमोरी कार्ड को कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर में लगाकर कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द ब शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट लेन देन वार्ता तैयार की गई। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी नें एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता व श्री महेश मीणा, जमादार की होना बताया। रिकार्ड वार्ताओ के मूल मैमोरी कार्ड से कॉपी कर रिकार्ड वार्ताओ के पांच पेनड्राईव तैयार किये गये। जिसमें एक पेनड्राईव मार्क पीडी -4 न्यायालय हेतु, आरोपीगणों हेतु मार्क पीडी-5 व पीडी-6 व पीडी-7 को उसी के कवर में रखकर, सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया गया तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान हेतु कागज के लिफाफे में रखकर खुला रखा गया तथा रिकार्ड वार्ताओ के मूल मैमोरी कार्ड को उसी के कवर में रखकर कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर मार्क एम-2 दिया गया। शिल्डशुदा आर्टिकल पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई गई। फर्द पर नमूना शील ACB BLA-1 12 की ब्रास शील अंकित की गई। उक्त फर्द समय 07.20 ए.एम पर प्रारम्भ कर समय 09.40 एएम पर समाप्त की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षक कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि आरोपी श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा नगर परिषद पुष्कर क्षैत्र में करवाये गये निर्माण कार्यो के पैण्डिंग बिलो के भुगतान सम्बंधित पत्रावली पर हस्ताक्षर कर आगे एईएन व कमिश्नर को भिजवाने की ऐवज में बिलो की भुगतान राशि 12,33,000/- रूपये एवं पूर्व में कराये गये कार्यो के भुगतान हो चुकी राशि 8.50 लाख रूपये कुल राशि 20,83,000/- रूपये की 10 प्रतिशत कमीशन रिश्वत राशि के हिसाब से 2.00 लाख रूपये स्वयं के लिये तथा सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान हाल स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर (एपीओ) के लिये उससे क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट व मौके के निर्माण कार्यो के फोटोग्राफ्स पर हस्ताक्षर करवाने की ऐवज में 12,33,000/- रूपये की 5 प्रतिशत रिश्वत राशि 60,000/- रूपये की मांग की गई। दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 को श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता नें प्रथम मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी से 50,000/- रूपये रिश्वत राशि श्री मुकेश चौहान सहायक अभियंता को दिये जाने के लिये ग्रहण की। तथा स्वयं के लिये 1.86 लाख रूपये की मांग की तत्पश्चात दिनांक 16.02.2025 को ही श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता नें श्री मुकेश चौहान को पुष्कर बुलाकर 50,000/- रूपये रिश्वत राशि देकर परिवादी के निर्माण कार्यो के लंबित बिलो की भुगतान पत्रावली एवं माप पुस्तिका में हस्ताक्षर करवाये जाना तथा स्वयं के लिये 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर दूसरे दिन दिनांक 17.02.2025 को लिये जाने पर सहमत हुआ। तत्पश्चात दिनांक 21.02.2025 को आरोपी श्री रामनिवास मीणा द्वारा मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 के अनुसरण में 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि (जिसमें 500-500 रूपये के कुल 120 नोट कुल राशि 60,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी करेंसी 500-500 के कुल 280 नोट कुल राशि 1,40,000/- रूपये) लेकर परिवादी को पुष्कर मेला मैदान केम्पस के पास बुलाया तथा अपने चचेरे भाई श्री महेश मीणा हाल सफाई कर्मचारी (कार्यवाहक जमादार) नगर परिषद पुष्कर को बुलाकर परिवादी से रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये दिलवायी गई। तथा श्री महेश मीणा द्वारा रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये लेकर मौके से फरार होकर तथा रिश्वत राशि संबंधित साक्ष्यो को खुर्द बुर्द करना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण (1) श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री रतीराम मीणा, उम्र 46 वर्ष, निवासी खेडली

कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर, जिला अजमेर (2) श्री महेश मीणा पुत्र श्री कंचनलाल मीणा, उम्र 35 वर्ष निवासी खेडली कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी (कार्यवाहक जमादार) नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर। (3) श्री मुकेश चौहान पुत्र श्री चमनलाल चौहान निवासी स्वर्णपथ गली, मानसरोवर जयपुर तत्कालीन सहायक अभियंता, नगर परिषद पुष्कर हाल स्वायत शासन विभाग (कार्मिक–3) राजस्थान जयपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 का घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपीगण (1) श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री रतीराम मीणा, उम्र 46 वर्ष, निवासी खेडली कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर, जिला अजमेर (2) श्री महेश मीणा पुत्र श्री कंचनलाल मीणा, उम्र 35 वर्ष निवासी खेडली कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी (कार्यवाहक जमादार) नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर। (3) श्री मुकेश चौहान पुत्र श्री चमनलाल चौहान निवासी स्वर्णपथ गली, मानसरोवर जयपुर तत्कालीन सहायक अभियंता, नगर परिषद पुष्कर हाल स्वायत शासन विभाग (कार्मिक–3) राजस्थान जयपुर के विरूद्ध धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम।......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व धारा 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण (1) श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री रतीराम मीणा, उम्र 46 वर्ष, निवासी खेडली कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पुष्कर, जिला अजमेर (2) श्री महेश मीणा पुत्र श्री कंचनलाल मीणा, उम्र 35 वर्ष निवासी खेडली कलां, तहसील महुआ, पुलिस थाना मंडावर, जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी (कार्यवाहक जमादार) नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर। (3) श्री मुकेश चौहान पुत्र श्री चमनलाल चौहान निवासी स्वर्णपथ गली, मानसरोवर जयपुर तत्कालीन सहायक अभियंता, नगर परिषद पुष्कर हाल स्वायत शासन विभाग (कार्मिक–3) राजस्थान जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर, को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 390 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 207-12 दिनांक 23.02.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. आयुक्त/नगर परिषद बोर्ड, पुष्कर, अजमेर 3. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 4 शासन उप सचिव कार्मिक क-3 शिकायत, विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 6.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2 2/2025 1 5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1978				
2	Male	15/06/1989				
3	Male	07/09/1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)